

**POSHAN
Abhiyaan**

PM's Overarching
Scheme for Holistic
Nourishment

सही पोषण - देश रोशन



सत्यमेव जयते



नए समाज की ओर
Towards a new dawn

जन आंदोलन के दिशा-निर्देश

पोषण अभियान

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार





जन आंदोलन

के दिशा-निर्देश

पोषण अभियान

विषय-सूची

परिवर्णी शब्द/संक्षेपाक्षर सूची	6
अध्याय – 1	
पोषण अभियान - परिचय	8
अध्याय – 2	
जन आंदोलन की आवश्यकता	10
अध्याय – 3	
जन आंदोलन की रणनीति	12
1. सिद्धांत	
2. उद्देश्य	
3. दृष्टिकोण	
4. लक्षित समूह	
5. मुख्य विषय	
अध्याय – 4	
भागीदारी एवं कार्यान्वयन योजना	18
1. आयोजना के पैरामीटर	
2. मुख्य पोषण व्यवहार	
3. प्लेटफॉर्म, साधन एवं सामग्रियां	
4. गतिविधियां	
5. भूमिकाएं और दायित्व	



अध्याय – 5

जन आंदोलन डैशबोर्ड 30

अध्याय – 6

मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन 32

अध्याय – 7

प्रशासनिक पहलू 34

अनुलग्नक

1. पोषण संवर्धन के लिये प्लेटफॉर्म 36
2. पोषण जन आंदोलन के लिये मुख्य दिवस/सप्ताह 37
3. जन आंदोलन के लिये राज्य स्तरीय टेम्पलेट 38
4. जिला स्तरीय मासिक योजना 39
5. प्रमुख पोषण संदेश 40
6. पोषण अभियान के लिये प्रासंगिक मौजूदा संचार सामग्रियां 45
7. राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग एवं रिपोर्टिंग टेम्पलेट 47
8. जिला स्तरीय मॉनिटरिंग एवं रिपोर्टिंग टेम्पलेट 48

परिवर्णी शब्द/संक्षेपाक्षर सूची

एएनएम	सहायक नर्स मिडवाइफ
आशा	प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता
एडब्ल्यूसी	आंगनवाड़ी केंद्र
एडब्ल्यूडब्ल्यू	आंगनवाड़ी सेविका
बीएसजी	भारत स्काउट्स एंड गाइड/भारत सोका इकाई
सीबीई	सामुदायिक आधारित कार्यक्रम
सीडीपीओ	बाल विकास परियोजना अधिकारी
सीपीएमयू	केंद्रीय परियोजना प्रबंधक इकाई
सीएसआर	कॉर्पोरेट सामाजिक सरोकार
सीआईआई	भारतीय उद्योग का कॉन्फेडरेशन
सीएमओ	मुख्यमंत्री कार्यालय
डीआरजी	जिला संसाधन समूह
डीपीओ	जिला कार्यक्रम अधिकारी
डीएआर	दीन दयाल अंत्योदय योजना
डीसी	जिला कलेक्टर
डीएम	जिला मजिस्ट्रेट
आईसीडीएस	समेकित बाल विकास स्कीम
आईईसी	सूचना, शिक्षा एवं संचार
आईएफए	आयरन एवं फोलिक एसिड
एचबीएनसी	गृह आधारित नवजात देखभाल
एलएस	महिला पर्यवेक्षक
एमआईएस	मासिक सूचना पद्धति
एमडब्ल्यूसीडी	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
एमजीएनआरईजीएस	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
एमडब्ल्यूसीडी	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
एनएनएम	राष्ट्रीय पोषण मिशन
एनआरएचएम	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
पीआरआई	पंचायती राज संस्थान
एसएचजी	स्वयं सहायता समूह
एसपीएमयू	राज्य परियोजना प्रबंधन यूनिट
एनएसएस	राष्ट्रीय युवा कोर
नवाइसी	नेहरू युवा केंद्र संगठन
एसपीएमयू	राज्य परियोजना निगरानी इकाई
वीएचएसएनडी	ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण दिवस
सीपीएमयू	केंद्रीय परियोजना प्रबंधक इकाई
डीएवाई	दीन दयाल अंत्योदया योजना
आईसीडीएस	समेकित बाल विकास सेवाएं
सीएसएस	कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर
एमओएचएंडएफडब्ल्यू	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
डीओडब्ल्यू एंड सीडी	महिला एवं बाल विकास विभाग
एफएसएसएआई	भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
फिक्की	भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ
आईडीसीएफ	तेज दस्त नियंत्रण पखवाड़े
यूटी	केंद्र शासित प्रदेश
पीएसए	सार्वजनिक सेवा घोषणा
एनवाईकेएस	नेहरू युवा केन्द्र संगठन
एनआरएलएम	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
एनओआरडी	ग्रामीण विकास मंत्रालय
एमओए एंड एफडब्ल्यू	कृषि एवं किसान मंत्रालय
एमओडी	रक्षा मंत्रालय
एमओडीडब्ल्यू एंड एस	पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय
एसओबीआई	सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अध्याय

1

पोषण अभियान – परिचय





पोषण अभियान (राष्ट्रीय पोषण मिशन) बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा धात्री माताओं में पोषण के परिणामों में सुधार के लिये भारत का प्रमुख कार्यक्रम है। प्रौद्योगिकी के प्रयोग, लक्षित दृष्टिकोण एवं अभिसरण के माध्यम से मार्च 2018 में शुरू किया गया, यह कार्यक्रम किशोरियों, गर्भवती महिलाओं तथा धात्री माताओं पर फोकस के साथ-साथ बच्चों में ठिगनेपन, कुपोषण, रक्ताल्पता तथा जन्म के समय कम वजन के स्तर को कम करने और इस प्रकार समग्र रूप से कुपोषण की समस्या को दूर करने की दिश में प्रयत्नशील है।

कार्यक्रम का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के प्रयोग, अभिसरण के माध्यम से आचरण/व्यवहार – में परिवर्तन द्वारा सेवा प्रदायगी तथा कारगर उपायों को सुनिश्चित करते हुए अगले कुछ वर्षों में निगरानी के विभिन्न मापदंडों की दृष्टि से निर्धारित विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करना है। पोषण पर समग्र/व्यापक दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिये देश के सभी 36 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों तथा जिलों को पोषण अभियान में चरणबद्ध ढंग से शामिल किया जा रहा है, इस प्रक्रिया में 2017-18 में 315 जिले, 2018-19 में 235 जिले तथा 2019-20 में देश के शेष जिले शामिल किये जायेंगे। आशा है कि पोषण अभियान के अंतर्गत होने वाले विविध प्रयासों से देश के 10 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित होंगे।

अध्याय

2


**जन आंदोलन, एक
अनिवार्यता**



1. विगत लगभग 40 वर्षों से विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों द्वारा कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिये अनेक कार्यक्रम का प्रयास कर रहे हैं। इन योजनाओं से कुपोषण को कम करने में सहायता मिली है तथापि इन प्रयासों से वांछित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका है। पोषण अभियान एक तरफ वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके इन सभी प्रयासों में ताल-मेल स्थापित करना चाहता है वहीं दूसरी ओर पोषण जागरूकता को जन आंदोलन में परिवर्तित करना चाहता है। इस प्रकार पोषण अभियान को जन आंदोलन के रूप में परिकल्पित किया गया है, जन आंदोलन में जन भागीदारी से अभिप्राय लोगों की गतिविधियों से है।


“पोषण अभियान कार्यक्रम न होकर जन आंदोलन है और भागीदारी के तहत इस कार्यक्रम में स्थानीय संस्थाओं के जन प्रतिनिधियों, राज्य के सरकारी विभागों, सामाजिक संगठनों तथा आम जनता एवं निजी क्षेत्र की समावेशी भागीदारी को शामिल किया गया है।”

2. नीचे दिया गया, चित्र हितधारकों का उल्लेख करते हुए जन आंदोलन के प्रतिनिधित्व को दर्शाता है।



प्रबंधक और तकनीकी सहायता

कवरेज • सततता • तीव्रता • गुणवत्ता



गतिशीलता एवं सहायता

प्रोत्साहन एवं सहायता

कोर समूह
(एमओडब्ल्यूएससीएस)
जन आंदोलन के लिए



तकनीकी सहायता



समन्वय



अभिसरण



अनुश्रवण

अध्याय 3

जन आंदोलन की रणनीति



1. सिद्धांत

जन आंदोलन निम्नलिखित मुख्य सिद्धांतों पर आधारित होगा :

- **आकांक्षाएं** : लोगों के अंतर्निहित लक्ष्यों में उनकी आकांक्षाओं को शामिल किया जायेगा तथा उत्प्रेरणा सुनिश्चित की जायेगी। जन आंदोलन का उद्देश्य आकांक्षा, साझी पहचान की भावना उत्पन्न करना तथा कथनी और करनी के बीच अंतर को समाप्त करना होगा।
- **सामूहिक पहचान** : व्यक्तिगत रूप से प्रासंगिक लक्ष्य अच्छे होते हुए भी पर्याप्त नहीं होते हैं। जन आंदोलन का उद्देश्य पोषण के लिये साझे स्तर की अवधारणा सृजित करना होगा। आंदोलन के सदस्यों में सामूहिक पहचान की भावना होगी।
- **संयुक्त कार्यवाही** : विचार को क्रिया रूप देने के लिये यह आवश्यक है कि जन आंदोलन लोगों के लिये सरल, व्यावहारिक कार्यवाहियों एवं संयुक्त प्रयासों का सृजन करें और लोगों के लिये जुड़ाव एवं भागीदारी को सरल बनायें। उदाहरण के लिये उनसे शपथ लेने या प्रतिबद्धता करने के लिये आग्रह करने से भागीदारी बढ़ सकती है। वे जो करेंगे उसकी योजना बनाने के लिये उनसे आग्रह करने से कार्य संपन्न करने की संभावना और बढ़ जायेगी। लोगों में लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने की धारणा विकसित करने से आंदोलन में बने रहने की संभावना बढ़ती जाती है।
- **पुरस्कार** : अंततः उपयुक्त पुरस्कार (जिसमें समकक्षों में उनकी पहचान, सरकार से प्रशस्ति पत्र आदि), से व्यापक उच्च स्तर की भागीदारी के लिये अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता, समकक्ष लीडर और स्थानीय चैंपियन प्रेरित होंगे।

2. उद्देश्य

जन आंदोलन निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम करेगा :

- क. कुपोषण के प्रभाव से देश में विभिन्न क्षेत्रों में पहचान बनाना और कुपोषण कम करने में योगदान देने हेतु प्रत्येक क्षेत्र को ठोस कदम उठाने के लिये आह्वान करना।
- ख. पोषक आहार का सेवन करने की मंशा उत्पन्न करने के लिये अनेक क्षेत्रों और समुदायों को प्रेरित करना।
- ग. एसएएम तथा रक्ताल्पता सहित कुपोषण रोकने के ईष्टतम स्तनपान, पूरक आहार, मातृत्व पोषण तथा किशोर पोषण की प्रथाओं को अपनाने के लिये ज्ञान, मनोवृत्ति तथा आचरण का निर्माण करना।

3. दृष्टिकोण

क. **अभिसरण** : पोषण अभियान मंत्रालयों/ विभागों तथा योजनाओं एवं कार्यक्रमों में अभिसरण के लिये एक अंतर्निहित प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। कुपोषण और रक्ताल्पता में कमी के लिये निर्धारित लक्ष्य सेवा प्रदायगी, सेवाओं की निगरानी तथा आवश्यकतानुसार उपायों को सुनिश्चित करने के लिये विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं में व्यापक दृष्टिकोण अपनाने को आवश्यक बनाते हैं। इस अभिसरण तंत्र को राष्ट्रीय स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक दोहराने की आवश्यकता है। पोषण अभियान



संगठनात्मक तंत्र प्रदान करता है, – जैसे केंद्र में राष्ट्रीय परिषद तथा कार्यकारणी समिति और राज्य से ब्लॉक स्तर तक अभिसरण कार्य योजना। अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं जैसे आंगनवाड़ी सेविकाओं, आशा, एएनएम तथा एलएस का अभिसरण एवं तालमिल सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसी तरह निरंतर संदेश प्रदान करने के लिये वीएचएसएन दिवस, सीबीई तथा डे-एनआरएलएम की साप्ताहिक बैठकों जैसे प्लेटफॉर्मों के प्रयोग से विभिन्न स्तरों पर योजना, कार्यान्वयन एवं निगरानी के लिये इन संगठनात्मक ढांचों का उपयोग होगा और सामुदायिक भागीदारी एवं सामाजिक आंदोलन के लिये प्लेटफॉर्मों का उपयोग होगा।

ख. सामुदायिक भागीदारी : सामुदायिक भागीदारी का दृष्टिकोण सजातीय सामुदायिक समूहों, सशक्त प्लेटफॉर्मों की इसकी ताकत पर आधारित होगा, जो मौजूद है तथा आम विषय के लिये इनका उपयोग किया जायेगा। सामुदायिक स्तर पर पोषण जन आंदोलन शुरू करने के लिये ऐसे समूहों की क्षमता प्रचुर है। ऐसे सामुदायिक समूहों के परिवेश एवं बैठकों का उपयोग पोषण एजेंडा निर्धारित करने तथा पोषण को बढ़ावा देने के लिये प्लेटफॉर्म के रूप में किया जायेगा। इन प्लेटफॉर्मों में स्वयं सहायता समूह, युवा समूह, किशोर समूह, सांस्कृतिक समूह, पीआरआई, शिक्षक संघ, वन समिति आदि शामिल होंगी। सामुदायिक भागीदारी के लिये तत्काल उपलब्ध प्लेटफॉर्म के रूप में नीचे 11 सरकारी प्लेटफॉर्मों को मानचित्रित किया गया है जिनमें ग्राम स्तर तक कार्यकर्ता/युवा वॉलेंटियर हैं। जन आंदोलन के अंग के रूप में जन भागीदारी के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये इनका बड़े पैमाने पर उपयोग करने की आवश्यकता होगी। विभिन्न मंत्रालयों में अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं, एसएचजी, वॉलेंटियर की सूची अनुलग्नक 1 में उपलब्ध है।

जन आंदोलन के लिये कार्यबल संसाधनों को उत्प्रेरित करना

11 प्लेटफॉर्म



1.6 करोड़
कार्यबल तथा युवा

ग. हिमायत : पोषण कार्यक्रम में अनेक क्षेत्रों की भागीदारी के लिये जन आंदोलन हेतु लोगों को प्रेरित करने की आवश्यकता है। दृष्टिकोण के रूप में पैरवी तथा पोषण जन आंदोलन में भाग लेने एवं योगदान करने के लिये सभी क्षेत्रों में और सभी स्तरों पर लीडर्स को प्रेरित करने के लिये मुख्य स्तंभ होगा। संसद से लेकर ग्राम पंचायत तक सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रेरित करने की आवश्यकता होगी ताकि पोषण जन आंदोलन को संचालित करने के लिये संसाधन एवं समय देने हेतु उनको प्रेरित किया जा सके। इसी तरह प्रमुख कॉरपोरेट एवं जन हितैषी संस्थाओं के साथ पैरवी से जन आंदोलन की दूर-दराज तक पहुंच सुनिश्चित होगी। कॉरपोरेट कारखानों, कार्यस्थलों आदि में अपने कार्यबल की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता कर सकते हैं। मनोरंजन, मीडिया तथा खेल जगत की हस्तियाँ जन आंदोलन को मुखरता एवं विश्वसनीयता प्रदान करेंगे। पोषण सम्बन्धी प्रथाओं के लिये आदर्श साबित होंगे। साक्ष्य आधारित पैरवी के साथ अपेक्षित नीतिगत परिवर्तन सुनिश्चित किये जायेंगे जो पोषण की तरफदारी करते हैं।

घ. साझेदारी : पोषण अभियान ने अगले कुछ वर्षों में प्राप्त करने के लिये चुनौतिपूर्ण लक्ष्य एवं उद्देश्य निर्धारित किये हैं। अकेले सरकार के लिये इन लक्ष्यों को प्राप्त करना संभव नहीं है। अनेक प्लेटफॉर्मों, मंत्रालयों, विभागों, समाज एवं कल्याणकारी संगठनों में साझेदारी का निर्माण करने की आवश्यकता होगी ताकि बहुक्षेत्रक एवं बहुआयामी भागीदारी सुनिश्चित हो। साझेदारियों से निम्नलिखित संभव होना चाहिए :- (क) व्यापक जन आंदोलन रणनीति एवं योजना जिसे चरणबद्ध ढंग से शुरू की जायेगी जायेगा, जो अनेक कार्यक्रमों से जुड़ी होगी ताकि पोषण आधारित संदेश प्रदान किये जा सके; (ख) पोषण पर प्रभावी जन आंदोलन के लिये सभी को शामिल करने वाले प्रदायगी प्लेटफॉर्म का समन्वय करना होगा; (ग) सभी प्लेटफॉर्मों जैसे कि मल्टीमीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट, आउटडोर अभियान तथा सभी उपायों में प्रभावोत्पादकों के लिये सुगठित एवं संकेंद्रित सामग्री प्रदान करना। इसके बाद सफल एवं प्रभावी सामाजिक आंदोलन तथा सामुदायिक भागीदारी के लिये राज्य से लेकर अग्रिम पंक्ति के पदाधिकारियों, पीआरआई सदस्यों तथा एसएचजी तक सभी स्तरों पर इसका उपयोग करने की आवश्यकता होगी।

ङ. ट्रांसमीडिया : ट्रांसमीडिया (जो ट्रांसमीडिया वक्तव्य या मल्टी प्लेटफॉर्म कथा के रूप में भी विख्यात है) मौजूदा डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके अनेक मीडिया प्लेटफॉर्मों एवं फॉर्मेटों में एकल कहानी या कहानी सुनाने की तकनीक है। पोषण अभियान के प्रयोजनार्थ सभी मीडिया प्लेटफॉर्म तथा देशी / स्थानीय संचार प्लेटफॉर्म पर पोषण की विजेता कहानी बुनने के लिये इस दृष्टिकोण का अभिष्ट रूप में प्रयोग किया जायेगा। यह एक सामान्य वक्तव्य को सुनिश्चित करेगा और देश के सभी हितधारकों को पोषण कार्यक्रम से जोड़ेगा। यह ऐसे जनबल का निर्माण करने में मदद करेगा जो देश की पोषण गाथा को बदल सकते हैं। पोषण अभियान की टैगलाइन जो 'सही पोषण, देश रोशन' है, का सभी ट्रांसमीडिया प्लेटफॉर्म में लगातार और सावधानीपूर्वक से प्रयोग किया जायेगा।



4. समूह विभाजन

जन आंदोलन को प्रभावी बनाने के लिये समूह को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक के रूप में चिन्हित किया गया है। नीचे दिया गया चित्र उनकी भूमिका को स्पष्ट करता है तथा चिन्हित करता है कि वे कौन हैं :



5. मुख्य विषय

पोषण का स्वरूप बहुक्षेत्रीय है तथा इसके लिये उपायों के एक पैकेज की आवश्यकता है जो पोषण विशिष्ट हो सकते हैं :- जैसे कि स्तनपान कराना या पोषण संवेदनशीलता, साफ-सफाई एवं स्वच्छता। राज्य एवं जिला स्तर पर कार्रवाई के लिये योजना बनाने में इसे शामिल करने हेतु नीचे दी गई तालिका पोषण अभियान, जन आंदोलन के समग्र विषय तथा 10 उपविषयों का उल्लेख करती है। राज्यों से इन विषयों पर जन आंदोलन की योजना बनाने की अपेक्षा है।

सारणी 1 : पोषण अभियान, जन आंदोलन के मुख्य विषय



समग्र पोषण

कुपोषण – ठिगनापन, अल्प-वजन, जन्म के समय कम वजन क्या है – प्रभाव एवं नुकसान
अच्छा पोषण/स्वस्थ आहार – क्या और क्यों – लाभ

	<p>01 प्रसव पूर्व जांच, गर्भवती महिलाओं का आहार, कैल्शियम संस्था में प्रसव तथा जल्दी स्तनपान शुरू करना</p>		<p>02 ईष्टतम स्तनपान</p>
	<p>03 पूरक आहार एवं भोजन</p>		<p>04 पूर्ण टीकाकरण तथा विटामिन ए संपूरक</p>
	<p>05 विकास की निगरानी एवं संवर्धन</p>		<p>06 बच्चों, किशोरियों एवं महिलाओं में रक्ताल्पता का निवारण - आहार आईएफए, कृमिनाशक दवा</p>
	<p>07 खाद्य सुदृढीकरण तथा सूक्ष्म पोषक तत्व</p>		<p>08 अतिसार प्रबंधन</p>
	<p>09 बालिका शिक्षा, आहार तथा सही समय पर विवाह</p>		<p>10 साफ-सफाई, स्वच्छता तथा सुरक्षित पेयजल</p>

अध्याय 4

भागीदारी एवं कार्यान्वयन योजना



1. योजना के मापदंड

राज्य/संघ शासित राज्य क्षेत्र स्तर पर एक व्यापक जन आंदोलन योजना विकसित की जायेगी। उपयुक्त अध्याय 3 में उल्लिखित विषयों के आधार पर पूरे वर्ष के लिये योजना तैयार करने की आवश्यकता होगी। आगे के पैराओं में मुख्य व्यवहारों, प्लेटफॉर्मों, उपकरणों एवं गतिविधियों पर चर्चा की गई है जिनको समग्र योजना का अंग बनाना होगा। राज्यों को पोषण एवं जनसांख्यिकीय प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए स्थानीय मुद्दों, विशिष्ट विषयों/मापदंडों को ध्यान में रखना चाहिए। योजना तैयार करते समय निम्नलिखित बातों पर विचार किया जा सकता है :

- राज्य स्तर पर क्रियान्वयन शुरू करने के लिये प्रासंगिक विषयों का पहला सेट तय कर सकते हैं। इसके बाद अगले चरण में/कुछ महीने बाद विषयों के दूसरे सेट को शामिल किया जा सकता है। इससे पहले सेट के विषयों के स्थिर होने में मदद मिलेगी तथा समूह पर अत्यधिक बोझ नहीं पड़ेगा।
- प्रभावी भागीदारी के लिये सभी प्लेटफॉर्म पर विषय आधारित साप्ताहिक/मासिक अभियान की योजना बनाई जा सकती है।
- यह सुनिश्चित करें कि पूरे वर्ष के दौरान सभी 10 विषयों को पर्याप्त रूप से शामिल किया गया है। हालांकि किसी क्षेत्र, इलाका या राज्य की विशेषताओं के आधार पर अभियान में अंतर हो सकता है।
- स्तनपान सप्ताह (1 से 7 अगस्त), कृमिनाशक दिवस (10 फरवरी और अगस्त) आदि जैसे विशिष्ट दिवसों/तिथियों के इर्द-गिर्द अभियान तैयार किये जा सकते हैं। ऐसे दिवसों/तिथियों की सांकेतिक सूची अनुलग्नक 2 में उपलब्ध है।
- जन आंदोलन प्रत्येक विषय के अंग के रूप में वांछित विशिष्ट व्यवहारों पर केंद्रित होनी चाहिए (कृपया नीचे तालिका 2 देखें)।
- आंदोलन की कारगरता को सुनिश्चित करने के लिये मासमीडिया का कोई भी अभियान (टीवी, रेडियो आदि) तीन माह से अधिक अवधि का होना चाहिए। साथ ही उस विशिष्ट विषय पर उत्साह पैदा करने के लिये अन्य संबंध प्लेटफॉर्मों को भी साथ में उपयोग करने की आवश्यकता होगी।
- चिन्हित विषयों पर आधारित संदेशों के प्रसार के लिये ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण दिवस (वीएचएसएनडी), आंगनवाड़ियों में समुदाय आधारित कार्यक्रम (सीबीई) और डे-एनआरएलएम की साप्ताहिक बैठक जैसे प्लेटफॉर्मों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जायेगा।

संदर्भ के लिये विषयों एवं प्लेटफॉर्मों पर आधारित राज्य स्तरीय अंतिम जन आंदोलन योजना अनुलग्नक 3 में उपलब्ध है। जिला आधारित मासिक क्रियान्वयन योजना का नमूना अनुलग्नक 4 में उपलब्ध है।

2. मुख्य पोषण व्यवहार

व्यवहारों का सेट संभावित रूप से सभी बच्चों में ठिगनेपन एवं विकास अवरुद्धता की समस्या को काफी कम कर सकता है तथा महिलाओं, किशोरियों/किशोरों एवं बच्चों में रक्ताल्पता की दरों को कम करने में मदद कर सकता है। इनमें से अधिकांश आचरण को भारत की राष्ट्रीय नीति रूपरेखा में शामिल किया गया है। इन व्यवहारों को उपर्युक्त अध्याय 3 में जन आंदोलन के लिये चिन्हित विषयों के साथ मानचित्रित किया गया है। राज्य/संघ शासित राज्य क्षेत्र स्तर पर जन आंदोलन वरीयता चरणबद्ध ढंग से नीचे सूचीबद्ध तरीके से तालिका 2 में पोषण के व्यवहारों पर केंद्रित होना चाहिए।



सारणी 2 : मुख्य पोषण व्यवहार

विषय	व्यवहार
 <p>01 प्रसव पूर्व जांच, गर्भवती महिलाओं का आहार, कैल्शियम संपूरण, संस्था में प्रसव तथा जल्दी से स्तनपान शुरू करना</p>	<ul style="list-style-type: none"> • गर्भवती महिलाएं पर्याप्त आहार, विश्राम, आयरन तथा कैल्शियम संपूरक हासिल करें • सभी प्रसव की योजना नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों पर निर्धारित कि जाए • प्रत्येक नवजात जन्म के 1 घंटे के अंदर स्तनपान शुरू करे
 <p>02 ईष्टतम स्तनपान</p>	<ul style="list-style-type: none"> • प्रत्येक नवजात जन्म के 1 घंटे के अंदर स्तनपान शुरू करे • प्रत्येक शिशु पहले 6 माह तक केवल स्तनपान करे • 4 से 6 महीने में केवल स्तनपान कराने में प्रत्येक मां की सहायता मिले * • Special mention is to be given for those who are small/preterm/sick and cannot suckle at breast
 <p>03 पूरक भोजन एवं आहार</p>	<ul style="list-style-type: none"> • प्रत्येक शिशु को 6 माह की आयु पूरी होने पर पूरक आहार दिया जाय। स्तनपान 2 साल तथा इसके बाद भी जारी रह सकता है। • प्रत्येक बच्चे (6–24 माह) को आयु के अनुरूप पोषणयुक्त ऊपरी आहार दिया जाये। • प्रत्येक बच्चे को विटामिन ए और आयरनयुक्त भोजन मिले। • प्रत्येक देखरेखकर्ता बच्चे को आहार देने की सक्रिय एवं अनुक्रियाशील पद्धतियों का अनुसरण करे।
 <p>04 टीकाकरण तथा विटामिन ए संपूरण</p>	<ul style="list-style-type: none"> • प्रत्येक बच्चे को सभी टीके लगवाये जाये। • प्रत्येक बच्चा विटामिन ए संपूरक हासिल करे। • हर 6 महीने में कृमिनाशक दवा दी जाये।
 <p>05 विकास की निगरानी एवं संवर्धन</p>	<ul style="list-style-type: none"> • प्रत्येक देखरेखकर्ता शिशुओं एवं बच्चों के विकास की नियमित रूप से निगरानी करें और एफएलडब्ल्यू द्वारा आचरण के संबंध में प्रदान की गई सलाह का पालन करें। • गंभीर कुपोषण से पीड़ित प्रत्येक बच्चे को चिकित्सकीय जटिलताएं विकसित होने से पूर्व अच्छा आहार एवं बेहतर देखरेख प्रदान किया जाये

*साक्ष्य दर्शाता है कि सिर्फ स्तनपान 4 से 6 महीने के बीच गिर जाता है। इस अवधि के दौरान इस व्यवहार को बनाए रखने के लिए मां को समर्थन की आवश्यकता है।

विषय	व्यवहार
<p style="text-align: right;">06</p>  <p>अनीमिया मुक्त भारत</p> <p>बच्चों, किशोरियों एवं महिलाओं में रक्ताल्पता का निवारण - आहार आईएफए, कृमिनाशक दवा</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 6–59 माह के प्रत्येक बच्चे दो सप्ताह में एक बार आयरन फोलिक एसिड सिरप प्राप्त करें। • 12–59 माह के बच्चे द्विवार्षिक आधार पर कृमिनाशक दवा प्राप्त करें (12–24 माह के बच्चों को आधी टैबलेट और 24–29 माह के बच्चों को एक टैबलेट) • 5–9 वर्ष के प्रत्येक बच्चे आहार में पर्याप्त विविधता, साप्ताहिक पिंक आयरन फोलिक एसिड संपूरक और दो वर्ष में एक बार कृमिनाशक दवा के साथ रक्ताल्पता के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त करें। • 10–19 वर्ष के प्रत्येक किशोर आहार में पर्याप्त विविधता, साप्ताहिक पिंक आयरन फोलिक एसिड संपूरक और दो वर्ष में एक बार कृमिनाशक दवा के साथ रक्ताल्पता के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त करें। • प्रत्येक गर्भवती महिला एवं धात्री माता पर्याप्त रूप से आहार में विविधता हासिल करें, रोज़ आयरन एवं फोलिक एसिड संपूरक, कैल्शियम, कृमिनाशक दवा और आयोडीन युक्त नमक लें। • प्रत्येक गर्भवती महिला का परिवार नियोजन की सेवाओं तक पहुंच हो। • मच्छरदानी प्रयोग करते हुये मलेरिया से सबका बचाव किया जाये।
<p style="text-align: right;">07</p>  <p>खाद्य प्रबलीकरण और सूक्ष्म पोषक तत्व</p>	<ul style="list-style-type: none"> • नज़दीकी सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध पोषाहार भोजन तक सभी देखरेखकर्ताओं की पहुंच हो, उनको यह उपलब्ध हो और वे इसका उपभोग करते हों।
<p style="text-align: right;">08</p>  <p>अतिसार प्रबंधन</p>	<ul style="list-style-type: none"> • बीमारी के दौरान और बीमारी के बाद प्रत्येक बच्चे को बार-बार आहार दिया जाता हो और स्तनपान भी कराया जाता हो। • अतिसार से पीड़ित प्रत्येक बच्चे को पर्याप्त ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन और जिंक संपूरक दिया जाता है।
<p style="text-align: right;">09</p>  <p>बालिका शिक्षा, आहार एवं विवाह की सही आयु</p>	<ul style="list-style-type: none"> • प्रत्येक लड़की अपनी स्कूली एवं उच्च शिक्षा पूरी करती हो। • प्रत्येक लड़की को किसी भेदभाव के बगैर पर्याप्त आहार मिलता हो। • प्रत्येक किशोरी जीवन कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करती हो ताकि वह विवाह एवं समय से पूर्व गर्भधारण से बच सके।
<p style="text-align: right;">10</p>  <p>साफ-सफाई, स्वच्छता और सुरक्षित पेयजल</p>	<ul style="list-style-type: none"> • महत्वपूर्ण समय पर पानी और साबुन से हाथ धोने, सहित सुरक्षित एवं स्वस्थ प्रथाओं का प्रयोग करके 6–24 माह के प्रत्येक बच्चे को आहार दिया जाता हो। • प्रत्येक परिवार बच्चे और पशुओं के मल का सुरक्षित ढंग से निपटान करते हो। • सभी परिवारों के प्रत्येक सदस्य हर बार शौचालय का प्रयोग करते हो। • सभी परिवारों के प्रत्येक सदस्य हर बार सुरक्षित पेयजल का प्रयोग करते हो। • किशोरी व महिलाएं माहवारी में स्वच्छ आदतों का इस्तेमाल करती हो।


उपर्युक्त विषय एवं स्वभाव अनुबंध 5 में उल्लिखित पोषण के प्रमुख संदेशों के इर्द-गिर्द निर्मित है जिनको जन आंदोलन की रूपरेखा तैयार करते समय सुदृढ़ करने की आवश्यकता होती है। ज़रूरत पड़ने पर राज्य की स्थिति के अनुसार संदेशों में परिवर्तन किया जा सकता है।

3. प्लेटफॉर्म, साधन एवं सामग्री

जन आंदोलन का निर्माण करने के लिये नीचे चित्र 1 में विभिन्न उपलब्ध प्लेटफॉर्मों को सूचीबद्ध किया गया है जिनका प्रयोग किया जायेगा। प्रत्येक प्लेटफॉर्म के लिये सक्रियता, संचेतना, प्रसारण या टेलीकास्ट हेतु संचार के विशिष्ट साधन या सामग्री की ज़रूरत होगी। साधनों का एक सेट उसी तालिका में सूचीबद्ध है। कुछ साधनों/सामग्रियों का प्रयोग एक से अधिक प्लेटफॉर्म में किया जा सकता है। अनुबंध 6 में विषय-वार संचार सामग्रियां सूचीबद्ध हैं, जो उपलब्ध है तथा पोषण अभियान के जन आंदोलन के लिये प्रयुक्त/अनुकूलित की जा सकती है। इनके साथ पोषण अभियान का लोगो एवं टैगलाइन को जोड़ने की आवश्यकता होगी।





चित्र 1 : जन आंदोलन के लिये प्लेटफॉर्म



4. गतिविधियां

पिछले अध्याय में निर्धारित रणनीतियों एवं दृष्टिकोणों का अनुसरण करके यह अध्याय विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर आधारित जन आंदोलन के संभावित उपायों का प्रस्ताव करता है। राष्ट्रीय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/जिला स्तर पर भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों में विभाजन करना होगा। सामान्य बाध्यकारी कारक मुख्य विषय, स्वभाव, मुख्य संदेश तथा सामान्य कहानी/कथ्य बने रहेंगे ताकि देश में कुपोषण कम हो सके। नवाचारों को प्रोत्साहित किया जाता है परंतु पुनरावृत्ति, समपोषणीयता और विस्तार की सुनिश्चितता के साथ। बड़े पैमाने पर तथा गहराई से समुदायों में पैठ बनाने के लिये साझेदारियों की विशेष रूप से आवश्यकता होती है।

क. राष्ट्रीय स्तर

गतिविधि	जिम्मेदारी
प्रयोजन 1 - पोषण अभियान के जन आंदोलन को तात्कालिक बनाना 	
<p>पोषण पर बल देने के लिये सभी मुख्य मंत्रियों को माननीय प्रधानमंत्री से पत्र</p> <p>प्रधानमंत्री पोषण अभियान में उनकी भूमिका पर उनको प्रोत्साहित करने के लिये एक बार पूरे देश में अनुबंध 1 में चिन्हित प्लेटफॉर्मों के एफएलडब्ल्यू को संबोधित करते हैं।</p> <p>हर महीने पहले बुधवार या पहले शुक्रवार को मासिक पोषण दिवस की घोषणा तथा उसे लोकप्रिय बनाना (उदाहरण के लिये पोषण बुधवार या पोषण शुक्रवार)</p> <ul style="list-style-type: none"> महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा संबंधित मंत्रालयों द्वारा पोषण दिवस की घोषणा, प्रचार-प्रसार एवं अनुस्मारक <p>आंगनवाड़ी चलो अभियान की घोषणा एवं लोकप्रिय बनाना</p>	<p>महिला एवं बाल विकास मंत्रालय</p> <p>संबंधित मंत्रालयों के अभिसरण में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय</p> <p>महिला एवं बाल विकास मंत्रालय</p> <p>अभिसरित मंत्रालयों के साथ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय</p> <p>महिला एवं बाल विकास मंत्रालय</p>
प्रयोजन 2 - प्रासंगिक संचार पैकेज तैयार करना एवं उपयोगकर्ता हितैषी संदेश पहुंचाना 	
<p>सभी समूहों एवं मीडिया के लिये संदेश देने के प्रमुख प्रस्तावों सहित संचार पैकेज विकसित करना।</p> <p>संदेशों को सुदृढ़ करके अभिष्ट एक्सपोजर के लिये वार्षिक मीडिया योजना विकसित करना। मीडिया की लगातार राष्ट्रव्यापी उपस्थिति का सुनिश्चय करना।</p> <p>निजी सेटलाइट टेलीवीजन चैनलों पर जनहित में पोषण पर विज्ञापन/संदेश के लिये अनिवार्य एयरटाइम पर वार्ता करना।</p>	<p>महिला एवं बाल विकास मंत्रालय</p>

प्रयोजन 3 - सुनिश्चित करना कि मास मीडिया के प्लेटफॉर्मों का कारगर ढंग से और निरंतर उपयोग होता है



मास मीडिया

- टी.वी. – दूरदर्शन राष्ट्रीय/क्षेत्रीय पर प्राइम टाइम के दौरान पोषण पर विज्ञापन के लिये फ्री टाइम आवंटित करना
- आहार एवं भोजन पर टीईडी वार्ता सीरीज़ का सृजन करना
- रेडियो – पोषण टॉक शो, कुकिंग शो का निर्माण करना
- प्रिंट – विशेष दिवसों/अवसरों पर प्रेस विज्ञापन सृजित करना और चलाना
- प्रिंट – पोषण मुद्दे सृजित और प्रकाशित करना
- प्रिंट – फीचर, ओपन एडीटोरियल, पोषण पर सकारात्मक कवरेज सृजित एवं प्रकाशित करना

डिजिटल/सोशल मीडिया

- फेसबुक – प्रसार के लिये सामग्री तैयार करना – वीडियो, उद्धरण, पोषण गाथाएं, पोषण चैंपियन
- व्हाट्सएप, फेसबुक – पोषण चैंपियन सहित पोषण पर साझा करने योग्य सामग्री सृजित करना
- ट्विटर पर मंजिल तथा लक्ष्य की प्रगति को साझा करने के लिये सामग्री सृजित करना
- पोषण पर प्रभावी एवं सतत सोशल मीडिया अभियान चलाना

सामुदायिक मीडिया

- राज्य/जिला स्तरीय निष्पादन एवं अभियान हेतु गीत एवं नाटक एकांश/प्रभाग के साथ साझेदारी करना

आउटडोर मीडिया

- होर्डिंग, बस पैनल, वॉल पेंटिंग, टिन प्लेट, डैंगलर, पोस्टर, स्टीकर के माध्यम से पोषण के संदेशों के प्रसार के लिये सामग्री सृजित करना (स्वस्थ विकल्प)

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय/एमआईबी/दूरदर्शन/आकाशवाणी/गीत एवं नाटक प्रभाग/फील्ड प्रचार प्रभाग

प्रयोजन-4 पोषण अभियान के लिये सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र को संघटित करना





विशेष संगोष्ठियों, सम्मेलनों, सीएसआर की अगुवाई में विचार-विमर्श के माध्यम से पोषण के संवर्धन द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की सहभागिता – सीआईआई और एफआईसीसीआई द्वारा संवर्धन

प्रमुख कम्पनी – व्यापक कार्यबल शिक्षा कार्यक्रम ऑनलाइन पोषण शिक्षा पाठ्यक्रम का विकास और प्रयोग 'सही पोषण – देश रोशन' पर विज्ञापनकर्ताओं का जोर

संबंधित संकेन्द्रण मंत्रालयों के साथ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

ख. राज्य स्तर

गतिविधि	ज़िम्मेदारी
<p>प्रयोजन-1 पोषण अभियान जन आंदोलन को तात्कालिक बनाना</p> <p>मुख्य मंत्रियों द्वारा से जिला मजिस्ट्रेटों, प्रधानों और नगरपालिकाओं के प्रमुखों को पोषण अभियान की सफलता के लिए पत्र जारी किया जाना</p> <p>प्रभावी व्यक्तियों का नामांकन</p> <p>निर्वाचित प्रतिनिधि :</p> <ul style="list-style-type: none"> • अपने निर्वाचन क्षेत्रों में पोषण के प्रवक्ता • अपने निर्वाचन क्षेत्रों से स्थानीय पोषण चैंपियनों को प्रोत्साहन/मान्यता • कुपोषण मुक्त पंचायतों/ब्लॉकों/जिलों के लिये निजी और सार्वजनिक क्षेत्र को संगठित करना। 	<p></p> <p>महिला एवं विकास विभाग</p>
<p>प्रयोजन-2 सभी मंचों का उपयोग करते हुए स्थानीय स्तर पर निरंतर जन सहभागिता सुनिश्चित करना</p> <p>पोषण/पोषण अभियान पर उन्मुखीकरण/प्रशिक्षण के माध्यम से राज्य मीडिया इकाई, सूचना एवं जन संपर्क विभाग तथा संस्कृति विभाग की क्षमता को सुदृढ़ बनाना।</p> <p>जन प्रचार माध्यम</p> <ul style="list-style-type: none"> • टी.वी. – डीडी क्षेत्रीय चैनलों पर प्राइम टाइम में पोषण पर विज्ञापन देने के लिये निःशुल्क एयरटाइम सुनिश्चित करना; पोषण पर राष्ट्रीय कार्यक्रमों का पुनः प्रसारण; पोषण पर कार्यक्रमों का विकास; • रेडियो – पोषण पर राष्ट्रीय कार्यक्रमों का पुनः प्रसारण; पोषण पर नये कार्यक्रमों का विकास – पोषण और स्वास्थ्य से जुड़े टॉक शो, स्थानीय खाद्य पदार्थ/पाक प्रणाली शो • प्रिंट – स्थानीय मुद्रण प्रचार-माध्यमों में पोषण संबंधी मुद्दों का प्रकाशन • प्रिंट – पोषण पर लगातार रूपक, संपादकीय, सकारात्मक कवरेज • प्रिंट – विशेष पोषण दिवसों और मासिक पोषण दिवसों पर प्रेस में लगातार विज्ञापन <p>डिजिटल/सोशल मीडिया</p> <ul style="list-style-type: none"> • राष्ट्रीय कार्यनीति के अनुसार डिजिटल कार्यनीति चलाना/प्रचार करना • स्थानीय समूहों को शामिल करने सहित फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर सामग्री से पूर्ति करना 	<p></p> <p>महिला एवं विकास विभाग</p>

बाह्य(आउटडोर) प्रचार-माध्यम

- होर्डिंग, बसों पर पैनलों, पोस्टरों, दीवारों पर पेंटिंग के माध्यम से बाह्य विज्ञापन
- सरकारी और निजी खुदरा व्यापारियों को स्थानीय रूप से प्रासांगिक टिन प्लेटों, लटकन (पन्डेन्ट) पोस्टर, स्टिकर की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता द्वारा स्थानीय लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करना।

सामुदायिक एवं स्थानीय प्रचार-माध्यम

- पोषण के साथ सहभागिता बनाने के लिये, जैसे राज्य के आहार पर आधारित स्थानीय खाद्य पदार्थों/पाक विद्या पुस्तक/स्थानीय भोजन, स्थानीय/सामुदायिक रेडियो की सहभागिता।
- रोचक पोषण विषय तैयार करने और उन विषयों पर अभिनय करने के लिये अम्बैस्डर (प्रचारक) के रूप में राज्य के कलाकारों की सहभागिता

अन्तर-वैयक्तिक संप्रेषण

- संदर्शों में एकरूपता के लिये सभी सामुदायिक समूहों और अग्रणी कार्यकर्ताओं में आईपीसी टूल-किट के प्रयोग का मानकीकरण।
- अग्रणी कार्यकर्ताओं, स्थानीय वॉलेंटियरों तथा रोल मॉडलों की कौशल वृद्धि और सहायक पर्यवेक्षण के लिये आईएलए प्रशिक्षण

प्रयोजन 3 - पोषण संवर्धन हेतु मौजूदा उत्सवों एवं सांस्कृतिक मानकों का उपयोग




सामुदायिक एवं सामाजिक अवसर

- खाद्य सुरक्षा, स्थानीय खाद्य खपत और पोषण को आपस में जोड़ने के लिये कटाई महोत्सवों (पोंगल, लोहड़ी, मकर संक्रान्ति, विशु, ओनम, रोंगली बिहु, बैसाखी, नुआखाई, हरेली, कुट और टोखुएमांग आदि) का एक अवसर के रूप में उपयोग।
 - ▶ इन दिनों प्रचार और सामुदायिक गतिविधियां नियोजित
- पोषण शिक्षा के लिये अन्नप्रसन्न जैसे पूरक पोषण कार्यक्रम शुरू करने के लिये परम्परागत प्रथाओं का इस्तेमाल
- मातृ पोषण और बाल पोषण पर बल देने के लिये बेबी शॉवर जैसी परम्परागत प्रथा
- मातृ और बाल पोषण पर बल देने के लिये नवजात शिशुओं के लिये परम्परागत प्रथा (छठी, पालना समारोह, नामकरण, अधान, दीक्षारंभ आदि)

विकास भागीदारों के साथ महिला एवं बाल विकास विभाग

ग. जिला स्तर

गतिविधि	ज़िम्मेदारी
<p>प्रयोजन - पोषण अभियान जन आंदोलन एवं एकाग्रता को तत्कालिक बनाना और बनाए रखना</p>	
<p>पोषण प्रमुखों के रूप में जिला मजिस्ट्रेट हर महीने की 10 तारीख को पोषण पर समीक्षा बैठकें बुलाएंगे</p> <p>सामुदायिक और सामाजिक अवसर</p> <p>निम्नलिखित द्वारा पोषण रैलियों, शपथ समारोहों, प्रार्थनाओं, बैठकों के माध्यम से पोषण दिवस समारोह</p> <ul style="list-style-type: none"> स्वास्थ्य सेवा केंद्रों (एससी, पीएससी, सीएचसी, जिला अस्पताल, एनआरसी): टीकाकरण स्थलों पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण आंगनवाड़ी केंद्रों, बाल संरक्षण समिति की बैठकों में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय स्कूलों (प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च विद्यालय) एमडीएम, अभिभावक-शिक्षक बैठकों, कॉलेजों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, पोलिटैक्निकों, गृह विज्ञान संस्थानों में मानव संसाधन विकास पंचायत भवनों, ब्लॉक प्रमुख कार्यालयों, जिला परिषद कार्यालयों, स्व-सहायता समूहों में पंचायती राज और ग्रामीण विकास कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से कौशल विकास मंत्रालय नेहरु युवा केंद्रों, खेल-कूद कॉलेजों और केंद्रों के माध्यम से युवा मामले और खेलकूद मंत्रालय कृषि विकास केंद्रों, किसान क्लबों, कृषि संस्थानों के माध्यम से कृषि मंत्रालय <p>वीएचएसएनडी स्थलों तथा टीकाकरण स्थलों पर बाह्य सामग्री के माध्यम से पोषण संवर्धन</p> <p>पोषण पर ग्रुप बैठकें और सामुदायिक चर्चा</p> <ul style="list-style-type: none"> स्थानीय पोषक अन्न, सब्जियों आदि को बढ़ावा देने के लिये कृषक क्लब मासिक बैठकें आयोजित करें। सहकारिताओं और फेडरेशनों (दुग्ध, पटसन, शक्कर, सूत, रेशम) में पोषण पर संचेतना पैदा करना। पोषण चैंपियनों के रूप में युवा समूह (एनएसएस, एनवाईएस, एस एंड जी) पांच परिवार गोद लें। आयुष औषधि/अस्पताल/शिक्षण संस्थानों को जन आंदोलन की विभिन्न गतिविधियों में शामिल करें। सीबीई, वीएचएसएन दिवस और साप्ताहिक दिवस – एनआरएलएम बैठकों को पोषाहारीय चुनौतियों के समाधान के साथ जोड़ा जाये। आंगनवाड़ी केंद्र और ग्राम पंचायत में ऐसे कार्यक्रम आयोजित किये जायें, जहां बच्चे फलों और सब्जियों के रूप में कपड़े पहनकर आयें, जिससे कि स्वस्थ खान-पान का संदेश दिया जा सके। 	<p>जिला मजिस्ट्रेट / डीसी</p> <p>जिला मजिस्ट्रेट / डीसी</p> <p>महिला एवं बाल विकास विभाग / एसएलआरएम</p> <p>महिला एवं बाल विकास विभाग / नाबार्ड</p> <p>महिला एवं बाल विकास विभाग / युवा मामले और खेलकूद मंत्रालय</p> <p>महिला एवं बाल विकास विभाग तथा अभिसारी विभाग</p>

गतिविधि	ज़िम्मेदारी
<p>अंतर-वैयक्तिक संप्रेषण और गृह भ्रमण</p> <ul style="list-style-type: none"> आंगनवाड़ी केंद्रों और सामुदायिक केंद्रों में महिला और किशोरी समूहों की बैठकों के माध्यम से पोषण के संबंध में समूह परामर्श आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा गृह भ्रमण के माध्यम से पोषण के संबंध में परिवार परामर्श मातृ-बाल संरक्षण कार्ड के उपयोग का प्रशिक्षण और मानकीकरण आंगनवाड़ी केंद्रों और प्राथमिक स्कूलों में बच्चों के साथ पोषण खेल 	डीपीओ / सीएमओ कार्यालय

5. भूमिकाएं और दायित्व

प्रभावी जन आंदोलन के लिये राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और जिला स्तर पर भूमिकाएं और दायित्व सौंपे जाते हैं।

- राष्ट्रीय स्तर :** राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख दायित्वों में निम्नलिखित शामिल होंगे :
 - जन आंदोलन के लिये स्पष्ट प्रशासनिक और क्रियान्वयन मार्गदर्शन सुनिश्चित करना।
 - संबंधित मंत्रालयों के साथ अभिसरण, ताकि अभिसरण गतिविधियों के लिये राज्य स्तर पर स्पष्ट निर्देश दिये जा सकें।
 - सरकार से इतर ऐसे संबंधित निकायों, संगठनों, संस्थाओं की भागीदारी, जो राज्य/जिला स्तर पर जन आंदोलन में सहायता प्रदान कर सकें।
 - जन आंदोलन के लिये साधनों/सामग्री का विकास
 - जन आंदोलन की मॉनिटरिंग, मूल्यांकन और रिपोर्टिंग
- राज्य स्तर :** राज्य स्तर पर निभाये जाने वाले दायित्वों में निम्नलिखित शामिल हैं :
 - जन आंदोलन कार्य योजना का अंतिम रूप सुनिश्चित करना।
 - जन आंदोलन गतिविधियों के लिये सरकारी मंचों का प्रयोग करते हुए संबंधित विभागों के साथ अभिसरण।
 - राज्य स्तर के ऐसे निकायों, संगठनों, संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी, जो राज्य/जिला स्तर पर जन आंदोलन में सहायता प्रदान कर सकें।
 - सामग्री/साधनों का राज्य की भाषा/स्थानीय बोलियों में रूपांतरण और अनुवाद।
 - जन आंदोलन के लिये पोषण पर प्रशिक्षण और उन्नमुखीकरण।
 - जन आंदोलन की मॉनिटरिंग, मूल्यांकन और रिपोर्टिंग
- जिला स्तर :** जिला स्तर प्रमुख क्रियान्वयन निकाय होगा। प्रमुख दायित्वों में निम्नलिखित शामिल होंगे :
 - जिला जन आंदोलन कार्य योजना की तैयारी और क्रियान्वयन।
 - जिला मजिस्ट्रेट जन आंदोलन के लिये सभी अभिसरण विभागों और संबंधित गैर-सरकारी निकायों को संगठित करें।
 - जन आंदोलन के लिये पोषण पर प्रशिक्षण और उन्नमुखीकरण।
 - गतिविधियों की क्षेत्रीय निगरानी
 - जन आंदोलन के लिये डैशबोर्ड रिपोर्टिंग

अध्याय 5

जन-आंदोलन डैशबोर्ड



अवधारणा

1. जैसे ही पोषण अभियान क्रियान्वित किया जायेगा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के हाथों में एंड्रॉइड फोन्स एक आम सरल उपकरण बन जायेंगे। स्मार्ट फोन्स पहले से ही भारत के सभी कस्बों और गांवों में उपलब्ध हैं। जन आंदोलन की सामुदायिक स्तर की निगरानी, दैनिक आधार पर सभी कार्यान्वयन साइटों से जन आंदोलन गतिविधियों पर प्रभावी रिपोर्टिंग प्रदान करने के लिये इस उपलब्ध तकनीक का उपयोग करेगी।
2. विश्लेषित रूप में डाटा का प्रतिनिधित्व करने हेतु मैदानी गतिविधियों/का डाटा कैप्चर करने के लिये – तथा एक डैशबोर्ड नामक दो घटक वाली एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विकसित की जायेगी। समुदाय स्तर निगरानी उपकरण का उद्देश्य जन आंदोलन के रूप में निर्धारित घटनाओं/ गतिविधियों का समय पर अनुपालन एकत्र करना होगा। पोषण अभियान एक सरल, मजबूत, मापनीय उपकरण का उपयोग करेगा जो दिनांक, विषय और स्थान के अनुसार गतिविधियों पर कणिकामय डाटा रिपोर्ट करेगा। यह उपकरण समुदाय आधारित घटनाओं, सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संबंधी घटनाओं और मध्य मीडिया कार्य पर दृश्यता प्रदान करेगा। इस उपकरण का उपयोग ब्लॉक और जिले की योजनाबद्ध गतिविधियों को आलेखबद्ध करने के लिये भी किया जायेगा।
3. मास मीडिया टेलीविज़न, रेडियो और सार्वजनिक विज्ञापन की मॉनिटरिंग गतिविधियां, पारंपरिक मीडिया में प्रसारण की निगरानी अथवा विज्ञापित संदेश की आवृत्ति और संतृप्ति को मापने का करी करेगी।

गतिविधि

4. जन आंदोलन उपकरण की सामुदायिक स्तर की निगरानी एक हेतु एंड्रॉइड ऐप होगा जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के फोन पर उपलब्ध है या किसी भी एंड्रॉइड फोन पर आसानी से स्थापना के लिये उपलब्ध होगा। उपयोगकर्ता को केवल अपने नाम के साथ इंस्टॉल किये गये ऐप के साथ पंजीकरण कराना होगा। उपयोगकर्ता को – 11 प्लेटफार्मों में से एक की सदस्यता लेकर और फोन से फोटो को पोषण अभियान की मेजबानी में डेटा सेंटर को भेजने की शर्तों को स्वीकार करना होगा।
5. जन आंदोलन के आयोजन को रिकॉर्ड करने के लिये, फ्रंटलाइन कार्यकर्ता (उदाहरणार्थ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता) ऐप खोलेगा, कार्यक्रम आयोजन की एक तस्वीर लेगा, परिभाषित आयोजन की सूची से गतिविधि (उस दिन के लिये निर्धारित) का चयन करेगा या 'अन्य' को चुनेगा और गतिविधि का नाम लिखेगा। फ्रंटलाइन कार्यकर्ता आयोजन की तस्वीर लेगा। तस्वीर के साथ शामिल डाटा में गतिविधि का स्थान, तिथि और समय तथा गतिविधि में शामिल व्यक्तियों की संख्या शामिल होगी। रिपोर्टर फिर गतिविधियों की सूची से आयोजन के विषय का चयन करेगा। जब भी एंड्रॉइड फोन की कनेक्टिविटी हो तो तस्वीर और इस डाटा को पोषण डाटा सेंटर में भेजा जायेगा। ऐप नियोजित समुदाय आधारित कार्यक्रमों को स्मरण भी भेजेगा ताकि पंजीकृत सभी सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मियों को उनकी जन आंदोलन संबंधी जिम्मेदारियों पर अद्यतित किया जा सके।

डैशबोर्ड पर गतिविधि/डाटा का वर्णन

6. डाटा को डैशबोर्ड पर प्रस्तुत किया जायेगा ताकि जन आंदोलन कार्यक्रम प्रबंधक घटनाओं के कार्यान्वयन का मानचित्रण, ग्राफ और देखकर सत्यापित कर सके। सर्वोत्तम प्रथाओं की दृश्यता में सुधार करने में मदद के लिये, सोशल मीडिया के लिंक्स प्रदान किये जायेंगे ताकि प्रबंधक फोटोग्राफ, एक स्पष्ट संदेश और सोशल मीडिया को टैगलाइन भेज सकें। सामुदायिक कार्यकर्ता, उप-केंद्र, ब्लॉक और जिला स्तर के प्रबंधक आयोजन की सामाजिक निगरानी प्रदान करने में सक्षम होंगे।
7. जन आंदोलन सामुदायिक स्तरीय डैशबोर्ड डाटा पेश करेगा जिसे कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा प्रतिदिन ट्रैक किया जा सकता है, जिला प्रबंधक मासिक बैठकों में सभी जन आंदोलन गतिविधियों और मीडिया कवरेज की समीक्षा करने के लिये जिम्मेदार होगा और विस्तार एवं व्यापक कार्यान्वयन के बारे में राज्यों को त्रैमासिक आधार पर रिपोर्ट करेगा। जन आंदोलन के प्रभाव को बढ़ाने के लिये मीडिया कार्यक्रमों में अधिकांशतः समूहों को नियमित रूप से प्रस्तुत करने हेतु यह उपकरण कार्यक्रम प्रबंधकों को फोटो एवं वृतांत सहित परिवर्तन के कथानक की पहचान करने में सहायता करेगा।

अध्याय 6

मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन



1. जन आंदोलन गतिविधियों की निगरानी डैशबोर्ड और निगरानी चेकलिस्ट का उपयोग करके की जायेगी। गुणवत्ता आश्वासन और पहुंच के लिये जन आंदोलन गतिविधियों की निगरानी के लिये एक राष्ट्रीय और राज्य निगरानी टीम गठित की जाएगी।
2. सॉफ्टवेयर आधारित डैशबोर्ड आने तक, राज्य/केंद्र-शासित प्रदेश पेपर रिपोर्ट के आधार पर गतिविधियों की निगरानी करेंगे। विषयों और प्लेटफॉर्मों के आधार पर राज्य स्तरीय निगरानी के लिये सुझाया गया टेम्पलेट (योजनाबद्ध गतिविधियों पर) अनुलग्नक-VII पर संलग्न है, इसी तरह के टेम्पलेट गतिविधि स्तर और मासिक निगरानी के लिये भी विकसित किये जा सकते हैं। इसी प्रकार, जिला स्तर की निगरानी (आंध्र प्रदेश पर आधारित नमूना) के लिये सुझाया गया टेम्पलेट अनुलग्नक-VIII पर संलग्न है। राज्य निगरानी दल हर तिमाही में अपनी रिपोर्ट एमडब्ल्यूसीडी/एनएनएम सीपीएमयू को प्रस्तुत करेगा। राष्ट्रीय निगरानी दल विशेष रूप से उन राज्यों में नमूना राज्य निगरानी आयोजित करेगा जहां पोषण संकेतक कमज़ोर हैं।
3. जन आंदोलन के परिणामों का आकलन प्रयोगात्मक आधार पर अप्रैल 2019 तथा 2020 में बाहरी सर्वेक्षण के माध्यम से किया जायेगा। इसका नेतृत्व एमडब्ल्यूसीडी द्वारा निर्देशित विकास साझेदार संघ द्वारा किया जा सकता है।



अध्याय 7

प्रशासनिक पहलू



1. जन आंदोलन की सभी गतिविधियों को समन्वयित, कार्यान्वित और मॉनिटर करने के लिये सहयोगी भागीदारों के साथ केंद्रीय रूप से एक अंतर-मंत्रालयी कोर समूह गठित की गयी है।
2. जन आंदोलन की सभी गतिविधियों को समन्वयित करने के लिये सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा एसपीएमयू के भाग के रूप में एक नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा। पोषण अभियान के हिस्से के रूप में टाटा ट्रस्ट के साथ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रत्येक जिले और कुछ राज्यों में एक स्वस्थ भारत प्रेरक की तैनाती के लिये एमओयू पर हस्ताक्षर किये गये हैं। जन आंदोलन के हिस्से के रूप में सभी गतिविधियों की योजना, समन्वय, कार्यान्वयन और रिपोर्टिंग के लिये नोडल अधिकारी के साथ प्रेरक निकटता से जुड़े होंगे।
3. राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सामग्रियों, सामूहिक मीडिया अभियानों और समुदायों के जुटाव के साथ-साथ साझेदारों की सहायता से स्थानीय भाषा में सामग्री का अनुवाद उपलब्ध कराने और समानुरूपण के लिये सक्रिय रूप से भूमिका निभानी होगी।
4. राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को जन आंदोलन गतिविधियों के लिये धनराशि आईईसी एडवोकेसी उप-शीर्ष के तहत उपलब्ध कराई जायेगी। निधि का आवंटन, अभियान के विभिन्न चरणों के हिस्से के रूप में संबोधित किये जा रहे जिलों की संख्या पर आधारित होगा। धन का उपयोग सामग्री और रचनात्मक तैयारी, जहां आवश्यक हो वहां प्रिंटिंग और मीडिया अभियानों (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जन आंदोलन योजनाओं में संचार की गतिविधियों, जो भी होंगी, को भी शामिल करने का सुझाव। उदाहरणार्थ समुदायिक बैठकों का आयोजन, अग्रणी कार्यकर्ताओं को पुरस्कार, मिड-मीडिया निष्पादन, वॉल पेंटिंग्स आदि) के प्रति किया जायेगा। राज्य/संघ राज्य स्तर पर उपलब्ध फ्लेक्सी फंड का उपयोग भी इस उद्देश्य के लिये राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विवेकानुसार किया जा सकता है।
5. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि तैयार की गई विभिन्न सामग्री, जो विभिन्न स्तरों पर वितरित या विभिन्न मीडिया चैनलों पर प्रसारित की गई है, इस दस्तावेज के अध्याय-III के अनुच्छेद-5 में यथा-परिभाषित समग्र विषयों और यथा-लागू पोषण अभियान लोगो के साथ-साथ ट्यून और विषय के साथ संरेखण में है।
6. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सीडीपीओ और डीपीओ जिम्मेदारी के स्तर (गांव, ब्लॉक और जिला) में सभी जन आंदोलन गतिविधियों की रिकॉर्डिंग (डाटा कैप्चर) के लिये जिम्मेदार होंगे। प्रारंभ में रिकॉर्ड पेपर-आधारित रिपोर्ट के रूप में होंगे। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जब भी शुरू हो, गतिविधियों को एप्लीकेशन के भाग के रूप में उचित रूप से रिकॉर्ड किया जायेगा।



अनुलग्नक – I

पोषण संवर्धन के लिये प्लेटफॉर्म

मंत्रालय	प्लेटफॉर्म	नम्बर्स
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	एएनएम	2,17,780
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	आशा	8,70,089
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	12,93,000
ग्रामीण विकास मंत्रालय (डे-एनआरएलएम)	स्व: सहायता समूह	42,00,000
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	शिक्षक	8,69,000
युवा मामले एवं खेल मंत्रालय	राष्ट्रीय युवा कोर स्वयंसेवक	12,000
	भारत स्काउट्स एवं गाईड्स	56,95,800
	एनएसएस (विद्यार्थी स्वयंसेवक)	32,00,000
रक्षा मंत्रालय	नेशनल कैडेट कॉर्प्स (इंडिया)	13,00,000
कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम	6,10,020
पेयजल एवं स्वच्छता राष्ट्रीय	स्वच्छग्राही	4,00,000

अनुलग्नक – II

पोषण जन आंदोलन के लिये महत्वपूर्ण दिन/सप्ताह

तिथि	दिन
12 जनवरी	राष्ट्रीय युवा दिवस
24 जनवरी	राष्ट्रीय बालिका दिवस (नेशनल गर्ल चाइल्ड डे)
10 फरवरी	राष्ट्रीय कृमिनाशन दिवस
11 फरवरी	अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस
13 फरवरी	विश्व रेडियो दिवस
8 मार्च	अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस
22 मार्च	विश्व जल दिवस
6 अप्रैल	विकास और शांति के लिये अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस
7 अप्रैल	विश्व स्वास्थ्य दिवस
14 अप्रैल	अम्बेडकर जयंती
24 अप्रैल	पंचायती राज दिवस
25 अप्रैल	विश्व मलेरिया दिवस
14 मई	मातृ दिवस
15 मई	अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस
1 जून	वैश्विक माता-पिता दिवस, विश्व दूध दिवस
21 जून	अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस
15 जुलाई	विश्व युवा कौशल दिवस
1-7 अगस्त	विश्व स्तनपान सप्ताह
12 अगस्त	अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस
29 अगस्त	राष्ट्रीय खेल दिवस
1-7 सितंबर	राष्ट्रीय पोषण सप्ताह
11 अक्टूबर	अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस
15 अक्टूबर	अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस
16 अक्टूबर	विश्व खाद्य दिवस
14 नवंबर	बाल दिवस
19 नवंबर	विश्व शौचालय दिवस
20 नवंबर	सार्वभौमिक बाल दिवस, बाल अधिकार दिवस
5 दिसंबर	अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस

अनुलग्नक - III

जन आंदोलन आंदोलन के लिये राज्य स्तरीय टेम्पलेट

राज्य : _____

महिने	प्रसव पूर्व जांच एवं संस्थागत	स्तनपान	अनुपूरक स्तनपान	टीकाकरण एवं विटामिन ए सप्लीमेंटेशन	विकास निगरानी एवं प्रोत्साहन	खून की कमी को दूर करना	खाद्य पुष्टीकरण एवं सूक्ष्म पोषण तत्व	डायरिया प्रबंधन	लड़कियों की शिक्षा एवं विवाह की सही आयु	स्वच्छता, हाइजीनिक एसडीडब्ल्यू	समग्र पोषण अभियान
जून-18	■	■	■	■	■	■	■				■
जुलाई-18		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
अगस्त-18	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
सितंबर-18	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
अक्टूबर-18	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
नवंबर-18	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
दिसंबर-18	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
जनवरी-19	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
फरवरी-19	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
मार्च-19	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ प्रभाव डालने वाले ■ सामुदायिक समूह ■ सामुदायिक मीडिया ■ बाह्य मीडिया ■ सोशल मीडिया ■ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया

अनुलग्नक – IV

जिला स्तरीय मासिक योजना

राज्य : आंध्र प्रदेश

माह : जुलाई

जिला	प्रसव पूर्व जांच एवं संस्थागत	स्तनपान	अनुपूरक स्तनपान	टीकाकरण एवं विटामिन ए सप्लीमेंटेशन	विकास निगरानी एवं प्रोत्साहन	खून की कमी को दूर करना	खाद्य पुष्टीकरण एवं सूक्ष्म पोषण तत्व	डायरिया प्रबंधन	लड़कियों की शिक्षा एवं विवाह की सही आयु	स्वच्छता, हाइजीनिक एसडीडब्ल्यू	समग्र पोषण अभियान
अनंतपुर											
चितौड़											
पूर्वी गोदावरी											
गुंटुर											
कृष्णा											
कूरनूल											
प्रकासम											
श्री पोट्टी श्रीरामुलू नेल्लोर											
श्रीककूलस											
विशाखा-पट्टनम											
विजयान-गरम											
पश्चिम गोदावरी											

■ प्रभाव डालने वाले ■ सामुदायिक समूह ■ सामुदायिक मीडिया ■ बाह्य मीडिया ■ सोशल मीडिया ■ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया

अनुलग्नक – V

प्रमुख पोषण संदेश




मुख्य पोषण व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिये संदेशों की एक सामान्य सूची नीचे दी जाती है जिसे सभी फ्रंटलाइन कर्मचारियों, सामुदायिक एनीमेटर्स, लीडरों तथा कार्यक्रम प्रबंधकों द्वारा देखा एवं उपयोग किया जाता है। संदेश में निरंतरता बच्चों, व्यस्कों के व्यवहारिक विकास तथा पुरुषों के व्यवहार परिवर्तन के लिये सुदृढीकरण प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण कारक है।

व्यवहार	प्रमुख संदेश
01	प्रसव पूर्व जांच, कैल्शियम संपूरक, संस्थागत प्रसव, शीघ्र स्तनपान
<p>गर्भवती महिलाएं पर्याप्त भोजन, आराम, लौह तत्व वाले खाद्य पदार्थ तथा कैल्शियम संपूरक लेती हैं।</p>	<ul style="list-style-type: none"> गर्भवस्था तथा स्तनपान के दौरान बेहतर पोषण से माताओं को सुरक्षा मिलती है और इससे बच्चे की उचित वृद्धि एवं विकास सुनिश्चित होती है। गर्भवती महिलाओं को गर्भवस्था बालक की अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने और बच्चे के जन्म के दौरान होने वाली खून की हानि को दूर करने के लिये लौह तत्व की अधिक आवश्यकता होती है। गर्भवती महिलाओं को निर्धारित संपूरक – लौह तत्व, कैल्शियम की खुराक लेने के लिये समर्थन दिया जाना चाहिए। गर्भवती महिला को निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में सभी निर्धारित पूर्व प्रसव जांच के लिये ले जायें।
निकटतम स्वास्थ्य केंद्रों पर सभी प्रसव हों।	<ul style="list-style-type: none"> संस्थागत प्रसव महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिये सुरक्षित होते हैं, क्योंकि पर्याप्त चिकित्सा सेवा प्रदान की जा सकती है। परिवारों को प्रसव के लिये निकटतम स्वास्थ्य केंद्रों पर ले जाने के लिये पहले ही योजना बना लेनी चाहिए।
प्रत्येक नवजात शिशु जन्म के एक घंटे के भीतर स्तनपान करना शुरू कर देता है	<ul style="list-style-type: none"> प्रत्येक नवजात शिशु को जन्म के एक घंटे के भीतर स्तनपान करवाना शुरू करा दें। कोलोस्ट्रम आपके शिशु का पहला प्रतिरक्षक टीका है। शिशु के जन्म के पहले दिन अपने बच्चे को जल या अन्य जलीय/तरल पदार्थ न दें।
02	ईष्टतम स्तनपान
प्रत्येक नवजात शिशु को पहले 6 माह में सिर्फ स्तनपान ही करवाया जाये।	<ul style="list-style-type: none"> शिशु को जन्म के पहले 6 माह तक केवल स्तनपान ही करवायें। शिशु को 6 माह तक जल, तरल पदार्थ या खाद्य पदार्थ न दें। स्तनों के दूध में सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ और जल शामिल होते हैं जो पहले 6 माह में आपके शिशु की भूख और प्यास मिटाने के लिये आवश्यक होते हैं। यहां तक कि स्तनपान गर्मी के मौसम में भी आपके शिशु की प्यास को संतुष्ट कर सकता है।
प्रत्येक माता को 4 से 6 माह* के दौरान केवल स्तनपान करवाने और उसे बनाये रखने में सहायता प्रदान की जानी चाहिये।	<ul style="list-style-type: none"> बच्चे को नियमित रूप से और आवश्यकतानुसार स्तनपान करवाते रहें, इससे दूध का पर्याप्त मात्रा में बनना सुनिश्चित होता है। परिवार : नई माता को 4–6 माह* में विशेष रूप से स्तनपान करवाने के लिये समय और स्थान उपलब्ध करवायें, यही वह सबसे बेहतर बात है जो आप अपने बच्चे के लिये कर सकती हैं।

*साक्ष्य दर्शाता है कि सिर्फ स्तनपान 4 से 6 महीने के बीच गिर जाता है। इस अवधि के दौरान इस व्यवहार को बनाए रखने के लिए मां को समर्थन की आवश्यकता है।



<p>प्रत्येक नवजात शिशु को 6 माह पूरे होने पर अनुपूरक खाद्य पदार्थ दिया जाये। स्तनपान 2 वर्ष तक और उसके बाद भी जारी रहे।</p>	<ul style="list-style-type: none"> • बच्चे के 6 माह का हो जाने पर बच्चे को अतिरिक्त पोषण देने के लिये उसे अन्य खाद्य पदार्थ देना शुरू कर दें। • 2 वर्ष तक या उसके बाद भी स्तनपान करवाना जारी रखें; स्तनों का दूध पौष्टिक होता है और यह आपके बच्चे की बीमारी से रक्षा कर सकता है।
<p>प्रत्येक बच्चे (6–24 माह) को जैसे-जैसे वह बड़ा होता जाता है अधिक मात्रा, घनत्व एवं अनुपात से आयु के अनुसार पौष्टिक घनत्व वाले अनुपूरक खाद्य पदार्थ दिये जायें।</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 6 माह : तरल दलिया, अच्छी तरह से मसला हुआ खाना, दिन में तीन बार, प्रत्येक खाना 3 चम्मच। • 7–8 माह : मसला हुआ खाना, 3 बार/दिन प्रत्येक खाने पर आधा कप तक 2 स्नैक्स। • 9–12 माह : अच्छी तरह से काटा हुआ और मसला हुआ खाना, वह खाना जो बच्चा अपनी ऊँगलियों से उठा सकता है, दिन में तीन बार, दिन में 2 स्नैक्स, प्रत्येक बार में कम से कम आधा कप। • 13–24 माह : पारिवारिक खाना, अच्छी तरह से काटा हुआ या मसला किया हुआ, 1–2 स्नैक्स के साथ दिन में 3–4 बार; प्रत्येक खाने पर तीन तिहाई/कप से लेकर एक पूरे कम तक। • विभिन्न प्रकार के खाने : (क) कम से कम तीन प्रकार के (अनाज और दालें) (ख) सब्जियां एवं फल (ग) घी, तेल या मक्खन के चम्मच के साथ पकाया हुआ/मिलाया हुआ खाना। • बच्चे को विटामिन ए तथा आयरन युक्त खाना देना चाहिए।
<p>प्रत्येक देखरेख करने वाला सक्रिय रूप से और बच्चे की प्रतिक्रिया अनुसार बच्चे को खाना खिलायें।</p>	<ul style="list-style-type: none"> • धैर्य रखें, अपने बच्चे को खाने के लिये प्रोत्साहित करें। • अपने बच्चे को खाना खिलाने के लिये ज़बरदस्ती न करें। • यह सुनिश्चित करने के लिये कि वह दिया गया सभी खाना खा ले, अपने बच्चे को खाना खिलाने के लिये एक अलग बाऊल/प्लेट का उपयोग करें। • अच्छा रुटीन बनायें; खाना खिलाने के समय का एक लगातार रुटीन बनायें, खेल एवं खाना खिलाने को प्रोत्साहित करें।
<p>प्रत्येक बच्चे को स्तनपान जारी रहते हुए भी प्रत्येक बीमारी के दौरान और उसके पश्चात निरंतर खाना दिया जाता है।</p>	<ul style="list-style-type: none"> • बीमार और कुपोषित बच्चे को नियमित रूप से ठोस/अर्धठोस खाना दें। • दिन और रात दोनों वक्त नियमित रूप से और लंबे समय के लिये स्तनपान करवायें। • बीमारी के बाद, बीमारी के कारण होने वाली ऊर्जा और पौष्टिकता की हानि के लिये कम से कम दो सप्ताह के लिये बच्चे को अतिरिक्त खाना दें।
<p>अत्यंत कुपोषित बच्चे को चिकित्सकीय कठिनाइयों के विकसित होने से पूर्व ही समयबद्ध और गुणवत्तापूरक खाद्य पदार्थ एवं देखरेख प्रदान की जाये।</p>	<ul style="list-style-type: none"> • कमजोर विकास और कुपोषण के अन्य संकेतों के चिन्हित होते ही उन्हें दूर करना काफी महत्वपूर्ण होता है। • यदि समस्या गंभीर है तो आपको अपने बच्चे को निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में शीघ्र ही ले जाना चाहिए। • पोषण संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिये विशेष (पौष्टिक) खाने के साथ शीघ्र उपचार किये जाने की आवश्यकता होती है।

04	टीकाकरण एवं विटामिन ए संपूरक 	
	<p>प्रत्येक बच्चे को पूर्ण टीकाकरण हो; प्रत्येक बच्चे को प्रत्येक 6 माह के बाद विटामिन ए संपूरक और कृमिनाशक दवा दी जाये।</p>	<ul style="list-style-type: none"> • माता-पिता और देखरेख करने वाले : यह सुनिश्चित करें कि आपका बच्चा जीवन को जोखिम में डालने वाली बीमारियों से सुरक्षा के लिये पूरा टीकाकरण प्राप्त करें। इस कार्य से हटें नहीं या बीच में न छोड़ें। • 9वें महीने से, अपने बच्चे को बीमारियों से लड़ने में मदद के लिये वर्ष में दो बार विटामिन ए संपूरक दें। • एक वर्ष से, यह सुनिश्चित करें कि आपके बच्चे को प्रत्येक 6 माह के बाद कीड़े मारने वाला सिरप/गोलियां मिले।
05	विकास निगरानी एवं प्रोत्साहन 	
	<p>सभी देखरेखकर्ता नवजात शिशुओं और बच्चों के विकास की नियमित निगरानी करते हैं और एफएलडब्ल्यू द्वारा दी गई व्यवहारात्मक सलाह का पालन करें।</p>	<ul style="list-style-type: none"> • प्रत्येक स्वस्थ बच्चे का वजन हर माह बढ़ते रहना चाहिए। अगर आपके बच्चे का वजन बढ़ नहीं रहा है या कम हो रहा है तो अवश्य ही कोई गंभीर समस्या है। • अधिक पतलापन या सूजन जैसी समस्याओं को चिन्हित करने में मदद करने के लिये विकास निगरानी एवं प्रोत्साहन सत्रों में भाग लेना।
	<p>काफी गंभीर कुपोषण वाले बच्चे को चिकित्सकीय समस्याएं विकसित होने से पूर्व ही समयबद्ध एवं गुणवत्तापूरक पौष्टिक खाना एवं देखरेख दी जाये।</p>	<ul style="list-style-type: none"> • बच्चों के कमजोर विकास और कमजोर पोषण के संकेतों को तेजी से चिन्हित किये जाते ही इन्हें दूर किया जाना काफी महत्वपूर्ण है। • यदि समस्या काफी गंभीर है, तो आपको अपने बच्चे को निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में शीघ्र ही ले जाना चाहिए। • पोषण संबंधी समस्याओं को विशेष (पौष्टिक) खाने से शीघ्र ही दूर किये जाने की आवश्यकता होती है।
06	खून की कमी को दूर करना 	
	<p>6-59 माह तक के प्रत्येक बालक को सप्ताह में दो बार आयरन फोलिक एसिड सिरप प्राप्त होता हो।</p> <p>12-59 माह के बच्चों को साल में दो बार कृमिनाशक मिले (12-24 माह के बच्चे को आधी गोली और 24-59 माह के बच्चे को एक गोली)।</p> <p>5-9 वर्ष के प्रत्येक बच्चे का पर्याप्त विविध आहार सहित साप्ताहिक पिंक आयरन फोलिक एसिड संपूरक और साल में दो बार कृमिनाशन देकर रक्ताल्पता से सुरक्षा किया जाये।</p>	<ul style="list-style-type: none"> • स्कूल में पढ़ाई और अच्छा प्रदर्शन करने में कठिनाई होती है। रक्त में आयरन की कमी से ही रक्ताल्पता की स्थिति बनती है। • बच्चों को विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ खाने चाहिए जिनमें हरी पत्तेदार सब्जियां, प्रोटीन और विटामिन हो और रक्ताल्पता से बचाव हर सप्ताह आईएफए संपूरक लें। • आंतों में कीड़ों से भी अनीमिया हो सकता है। हर बच्चे को साल में दो बार कृमिनाशन गोली दी जानी चाहिए। • देख-रेखकर्ताओं द्वारा बालक और बालिकाओं की जांच कराये। यदि वे रक्त की कमी से पीड़ित हो तो उपचार शुरू करें।
	<p>प्रत्येक किशोर/किशोरियों को पर्याप्त विविध आहार, साप्ताहिक ब्लू आयरन और एसिड संपूरक, साल में दो बार कृमि नाशन देकर रक्ताल्पता से सुरक्षा किया जाये।</p>	<ul style="list-style-type: none"> • रक्त में यथेष्ट आयरन के बिना किशोर और किशोरियां रक्त की कमी से ग्रसित हो जाते हैं और थकान, कमजोरी महसूस करते हैं, भूख नहीं लगती है और पढ़ाई में मन नहीं लगता है। • इससे बचाव के लिये किशोर/ किशोरियों को विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में आयरन युक्त और विटामिन-सी से युक्त भोजन लेना चाहिए। • किशोर/किशोरियों को सप्ताह में आयरन संपूरक और 6 माह में कृमि नाशन गोली लेनी चाहिए। • देख-रेखकर्ताओं को बालक/बालिकाओं की जांच करनी चाहिए और यदि वे रक्त की कमी से पीड़ित हों तो उनका उपचार शुरू करें।

	<p>प्रत्येक गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली माता के लिये यथेष्ट विविध आहार होता है और वह रोज़ाना आयरन और फोलिक एसिड संपूरक तथा कैल्शियम, कृमिनाशन और आयोडीन युक्त नमक का उपभोग करें।</p>	<ul style="list-style-type: none"> • रक्त की कमी एक गंभीर स्थिति है और इससे समय पूर्व जन्म, कम वज़न के बच्चे पैदा हो सकते हैं और माता की मृत्यु तक भी हो सकती है। • बच्चों का विकास (मानसिक एवं शारीरिक) गर्भावस्था में शुरू होता है। अतः गर्भावस्था में रक्त की कमी से बचाव करें। • गर्भवती महिलाओं को आयरन की अधिक ज़रूरत होती है। गर्भावस्था के दौरान और जब तक बच्चा स्तनपान के माध्यम से केवल आपसे पोषण प्राप्त करता है रोज़ाना आईएफए गोली कम से कम 6 माह तक उपभोग करना सुनिश्चित करें। • गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताएं रक्त की कमी को रोकने में सहायता हेतु कृमिनाशन गोली लें।
	<p>प्रत्येक गर्भवती महिला एवं स्तनपान कराने वाली माता के लिये परिवार नियोजन सेवाएं उपलब्ध हो।</p>	<ul style="list-style-type: none"> • गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को अगली गर्भावस्था में देरी के लिये परिवार नियोजन विधियों की जानकारी और नियमित एवं आसानी से आपूर्ति की आवश्यकता होती है ताकि पिछले प्रसव से पूर्णतः स्वस्थ हो सके।
	<p>मच्छरदानी के प्रयोग के जरिए मलेरिया से हर बच्चे की सुरक्षा की जाये।</p>	<ul style="list-style-type: none"> • अनीमिया मलेरिया से होता है जो विकास में बाधक है। • मलेरिया से बचने के लिये बच्चों को मच्छरदानी में सुलाया जाना चाहिए। • मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में परिवार के सभी सदस्यों को मच्छरदानी में सोना चाहिए।
<p>07</p>	<p>खाद्य संपुष्टीकरण और सूक्ष्म पोषक तत्व (माइक्रोन्यूट्रियन्ट्स)</p>	
	<p>नज़दीकी स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में सभी देखरेखकर्ताओं को संपुष्ट आहार लेने और उपभोग करने हेतु उपलब्ध हो।</p>	<ul style="list-style-type: none"> • संपुष्ट खाद्य पदार्थ जन स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध है। • संपुष्ट खाद्य पदार्थों का उपयोग सुरक्षित है।
<p>08</p>	<p>दस्त प्रबंधन</p>	
	<p>दस्त से पीड़ित बच्चों को उचित ओरल रिहाईडेशन सोल्यूशन और जिंक संपूरक मिले।</p>	<ul style="list-style-type: none"> • बच्चों को दस्त लगने पर ओआरएस और जिंक मिलाकर देना बेहतर उपचार है। वे शीघ्र स्वस्थ और फिर से तंदुरुस्त हो जाते हैं। • दस्त होने का संकेत मिलने पर बच्चे को ओआरएस और जिंक दें। • अगर दस्त लगातार जारी रहता है या अधिक गंभीर हो जाता है तो उसे ठीक करने के लिये बच्चे को योग्य स्वास्थ्य चिकित्सक के पास ले जाये।
<p>09</p>	<p>किशोरों/किशोरियों में विवाह की सही उम्र की शिक्षा और आहार</p>	
	<p>प्रत्येक किशोरों/किशोरियों को जल्दी विवाह और जल्दी गर्भधारण करने से रोकने के लिये जीवन कौशल प्रक्षिषण मिले।</p>	<ul style="list-style-type: none"> • जल्दी विवाह (भारत में लड़कियों के लिये 18 वर्ष और लड़कों के लिये 21 वर्ष से पहले) मानव अधिकारों का उल्लंघन है। इससे उनके शारीरिक विकास, स्वास्थ्य, मानसिक एवं भावनात्मक विकास और शैक्षणिक अवसर पर प्रभाव पड़ता है। • जो लड़कियां जल्दी शादी करती हैं उनमें पढ़ाई बीच में छोड़ने की प्रवृत्ति होती है और उनमें गर्भावस्था एवं प्रसव के दौरान जटिलताओं का अधिक खतरा रहता है और उनके शिशु के कम वज़नी होने की अधिक संभावना होती है। • विवाह में देरी से लड़की का जीवन बहुत खुशहाल और विकासपरक बन जाता है। • लड़कियों की देरी से शादी करके जीवन कौशल की शिक्षा के माध्यम से उनके ज्ञान और कौशल के साथ योग्य और सशक्त बनाया जा सकता है ताकि वे स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकें।



<p>6–24 माह के प्रत्येक बच्चे को हर बार साबुन और पानी से हाथों को साफ करके सुरक्षित एवं स्वच्छ तरीके से भोजन खिलायें।</p>	<ul style="list-style-type: none"> • बेहतर साफ–सफाई दस्त और अन्य बीमारियों से बचाव करने के लिये महत्वपूर्ण है। • बच्चे को आहार देने/भोजन कराने से पहले पानी से अपने और बच्चे के हाथ धोयें। • सुनिश्चित करें कि बीमारी से बचने के लिये स्वच्छता पूर्वक भोजन तैयार किया गया हो। • मिट्टी और पशुओं के मल में रोगाणु होते हैं। सुनिश्चित करें कि बच्चा मिट्टी या पशुओं के मल को न छुएं/पशुओं का मल मुंह में न लें। • बच्चे को खाने और खेलने के लिये साफ–सुथरी जगह बनायें।
<p>हर घर में बच्चे एवं पशुओं के मल का सुरक्षित रूप से निपटारा किया जाये।</p>	<ul style="list-style-type: none"> • बच्चे के मल सहित सभी गंदगी में रोगाणु होते हैं और उनका सुरक्षित रूप से निपटारा किया जाना चाहिए। • देखरेखकर्ताओं द्वारा लंगोट, गंदे कपड़े, बच्चों के खेलने के स्थान एवं पेयजल स्रोतों से दूर रखे जायें। • देखरेखकर्ताओं द्वारा लगातार घर से पशुओं की गंदगी को साफ करना चाहिए और उसे शौचालयों में सुरक्षित रूप से निपटा या बहा देना चाहिए।
<p>हर परिवार का प्रत्येक सदस्य सदैव शौचालय का प्रयोग करें।</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 3 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को देखरेखकर्ताओं द्वारा अपने मार्गदर्शन में शौचालय का उपयोग करने के बारे में सिखाया जाना चाहिए। • परिवार के सभी सदस्यों को शौच के लिये शौचालय का ही प्रयोग करना चाहिए।
<p>हर परिवार के सभी सदस्य सदैव सुरक्षित पेयजल का उपयोग करें।</p>	<ul style="list-style-type: none"> • परिवार के सभी सदस्यों को सदैव सुरक्षित पेयजल पीना चाहिए। • उबला और फिल्टर किया पानी सभी बैक्टीरिया और रोगाणुओं को मारता है। • हमेशा पानी को ढक कर रखा जाये और पानी लेने के लिये किसी बर्तन या कलसी का प्रयोग करें।
<p>किशोरियों के लिए मासिक धर्म एवं स्वच्छता</p>	<ul style="list-style-type: none"> • किशोरियों को मासिक धर्म एवं स्वच्छता पहलुओं पर शिक्षित करने की जरूरत है



अनुलग्नक – VI

पोषण अभियान के लिये प्रासंगिक मौजूदा संचार सामग्री

पोषण अभियान अभियान की थीम	कार्यक्रम हस्तक्षेप	सामग्री
प्रसवपूर्व जांच, कैल्शियम-संपूरक (सप्लीमेंटेशन), संस्थागत प्रसव और स्तनपान की शीघ्र शुरुआत	01 एचबीवाईसी / एचबीएनसी	एमसीपी कार्ड
	संस्थागत प्रसव	सीएस वीडियो
	मातृ पोषण	संवाद कार्ड के 5 सेट; खेल विज्ञापन
	मातृ पोषण स्वाभिमान दिवस— एनआरएलएम	स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्यों का सक्षिप्त संग्रह घर पर दौरे से संबद्ध परामर्श पुस्तिका मैत्री बैठक पीएलए मॉड्यूल
ईष्टतम स्तनपान	02 आईवाईसीएफ—स्तनपान, पूरक स्तनपान / आहार, आहार विविधता	रेडी—रेकनर / नौकरी सहायता—पिलपबुक
	स्तनपान	पोस्टर (इष्टहार)
पूरक खाद्य पदार्थ और भोजन	03 मां का दूध पर्याप्त होता है	टीवीसी 1
	स्तनपान कराने की शीघ्र शुरुआत	टीवीसी 2, रेडियो पीएसए 2, आईसीडीएस सीएस वीडियो
	केवल स्तनपान	टीवीसी 3, रेडियो पीएसए 3, आईसीडीएस सीएस वीडियो
	6 महीने पूर्ण होने पर में पूरक आहार	टीवीसी 4, रेडियो पीएसए 4, आईसीडीएस सीएस वीडियो
पूर्ण प्रतिरक्षण और विटामिन ए की संपूरक खुराक (सप्लीमेंटेशन)	04 मां का दूध पर्याप्त है	रेडियो पीएसए 1
	प्रतिरक्षण – 9वें महीने से 15 साल तक अपने बच्चे को खसरा रुबेला (Ruebellaa) टीका लगवाना चाहिए	टीवीसी, रेडियो पीएसए, लघु फिल्में, पोस्टर, व्हाट्सऐप संदेश, ट्विटर बैनर, इष्टहार (लीफलेट), अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) की पुस्तिका
विकास मॉनिटरिंग और संवर्धन	टीकाकरण – 'पाँच साल, सात बार..... छूटे न टिका एक भी बार' / 5 साल तक अपने बच्चे को 7 बार टीका लगवाएं और एक बार भी इसे न भूलें	पोस्टर, बैनर, सिनेमा स्लाइड, रेडियो स्पॉट, टीवीसी, आशा पर प्रेरक फिल्म, भिती चित्र टेम्पलेट
	05 विकास मॉनीटरिंग और संवर्धन	विकास चार्ट; एमसीपी कार्ड
बच्चों, किशोरियों एवं महिलाओं में रक्ताल्पता का निवारण - आहार आईएफए, कीड़े मारने की दवा	06 पीडब्ल्यू के लिए आईएफए	सीएस वीडियो
	आईएफए पुरक; मातृ पोषण; किशोरावस्था पोषण; कृमिनाशक	पोस्टरों, बुकलेट, डायलॉग कार्ड, जॉब एड / तैयार रेकोनर, रेडियोप्रोग्राम – 1 से 5 टीवीसी 1 से 3 व्हाट्सऐप संदेश का सेट; ट्विटर बैनर

अच्छा संपुष्टीकरण (फोर्टिफिकेशन)	07	घर पर सुरक्षित और पौष्टिक भोजन/एफएसएसएआई	गुलाबी किताब
		स्कूल में सुरक्षित और पौष्टिक भोजन (4-7 वर्ष)	पीली पुस्तक 1
		स्कूल में सुरक्षित और पौष्टिक भोजन (8-12 साल)	पीली पुस्तक 2
		स्कूल में सुरक्षित और पौष्टिक भोजन (13-17 वर्ष)	पीली पुस्तक 3
अतिसार की रोकथाम	08	ओआरएस और जिंक के माध्यम से अतिसार की रोकथाम	आशा के इशतहार/पत्रक
			प्रशिक्षण के लिये आईडीसीएफ टूलकिट
			पोस्टर
			पीआरआई के लिये सूचना-गाईड टीवीसी, रेडियो जिंगल्स
बालिका शिक्षा, आहार और सही उम्र में विवाह	09	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ	होर्डिंग्स, बस पैनल, रेडियो स्पॉट, टीवीसी, पोस्टर
स्वच्छता, साफ-सफाई और सुरक्षित पेयजल	10	सुरक्षित पेयजल को बढ़ावा देना	टीवीसी, रेडियो स्पॉट, पोस्टर, लघु वीडियो, पुस्तिकाएं, स्वच्छता शिक्षा पुस्तिकाएं, सोशल-मीडिया बैनर



अनुलग्नक – VII

राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग टेम्पलेट

राज्य : _____

महिने	प्रसव पूर्व जांच एवं संस्थागत	स्तनपान	अनुपूरक स्तनपान	टीकाकरण एवं विटामिन ए सप्लीमेंटेशन	विकास निगरानी एवं प्रोत्साहन	खून की कमी को दूर करना	खाद्य पुष्टीकरण एवं सूक्ष्म पोषण तत्व	डायरिया प्रबंधन	लड़कियों की शिक्षा एवं विवाह की सही आयु	स्वच्छता, हाइजीनिक एसडीडब्ल्यू	समग्र पोषण अभियान
जून-18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓
जुलाई-18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
अगस्त-18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
सितंबर-18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
अक्टूबर-18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
नवंबर-18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
दिसंबर-18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
जनवरी-19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
फरवरी-19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
मार्च-19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

■ प्रभाव डालने वाले
 ■ सामुदायिक समूह
 ■ सामुदायिक मीडिया
 ■ बाह्य मीडिया
 ■ सोशल मीडिया
 ■ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया

अनुलग्नक – VIII

जिला स्तरीय मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग टेम्पलेट

राज्य : आंध्र प्रदेश

माह : जुलाई

जिला	प्रसव पूर्व जांच एवं संस्थागत	स्तनपान	अनुपूरक स्तनपान	टीकाकरण एवं विटामिन ए सप्लीमेंटेशन	विकास निगरानी एवं प्रोत्साहन	खून की कमी को दूर करना	खाद्य पुष्टीकरण एवं सूक्ष्म पोषण तत्व	डायरिया प्रबंधन	लड़कियों की शिक्षा एवं विवाह की सही आयु	स्वच्छता, हाइजीनिक एसडीडब्ल्यू	समग्र पोषण अभियान
अनंतपुर	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
चित्तौड़	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
पूर्वी गोदावरी	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
गुंटुर	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
कृष्णा	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
कूरनूल	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
प्रकासम	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री पोर्टी श्रीरामुलू नेल्लोर	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्रीककूलस	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
विशाखा-पट्टनम	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
विजयान-गरम	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
पश्चिम गोदावरी	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

■ प्रभाव डालने वाले
 ■ सामुदायिक समूह
 ■ सामुदायिक मीडिया
 ■ बाह्य मीडिया
 ■ सोशल मीडिया
 ■ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया





टिप्पणी



A series of horizontal dotted lines providing a template for writing notes or comments.

